न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :-4/2018/भीलवाड़ा

1. श्रीमती दुर्गा पुत्री स्व0 श्री छीतर जी यादव पत्नि स्व0 श्री राजु यादव, निवासी बालाजी का खेड़ा, भीलवाड़ा।
2. श्रीमती कलां पुत्री स्व0 श्री छीतर जी यादव पत्नि जगदीश यादव निवासी भीलवाड़ा, हाल निवासी नरसिंहपुरा, ब्यावर जिला अजमेर।

-अपीलांट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत मालोला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मालोला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसीलदार व जिला भीलवाड़ा।
3. भंवरलाल पुत्र स्व0 श्री छीतर यादव निवासी आसाराम आश्रम के पास मालोला रोड़, मारूति कॉलोनी, भीलवाड़ा।

-रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा दिनांक 08.12.2017 जो कि अपील संख्या 01/2016 में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:-

1. अपीलांट अभि0- श्री भीयाराम चौधरी
2. रेस्पोडेंट अभि0-अनुपस्थित
3. राजकीय अभि0-श्री आकाश पारिक

निर्णय **दिनांकः-29.03.2023**

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जोधड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा में आराजीयात खसरा नम्बर 44 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 45 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा भूमियां स्थित है। उक्त भूमियां अपीलांट 1 व 2 तथा रेस्पोडेंट 3 के पिता छितर पुत्र नाथूराम यादव निवासी भीलवाड़ा के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रही। 37-38 वर्ष पूर्व छितर याद का देहांत हो चुका है तथा छितर याद की पत्नि गीतादेवी का भी वर्ष 2002 में देहांत हो चुका है। विवादित भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट की पृथक कृषि भूमि है तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट का विवादित भूमियों में प्रथम श्रेणी के वारिस होने की वजह से बराबर हिस्सा दर्ज है। मगर छितर यादव के देहांत के बाद नामातंरण संख्या 131 दिनांक 30.09.1982 को खोला गया था जो सिर्फ रेस्पोडेंट संख्या 3 भंवरलाल के नाम ही खोला गया। अपीलांट का नाम उक्त नामांतरण में दर्ज नहीं किया गया। जो विधि के प्रावधान के विपरीत है। उक्त नामांतरण के विरूद्ध अपील संख्या 1/2016 उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष अपीलांटगण द्वारा दायर करवायी गयी थी। जिसमें उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:21 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 08.12.2017 को मियाद बाहर होने से खारिज कर दी गई है। अपील में अपीलांट द्वारा निम्न आधार बताये गये है–

1. अपीलांट छितर की पुत्रीया होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से विवादित भूमि में बराबर की हकदार है। मगर सारी भूमियां रेस्पोडेंट संख्या 3 के नाम दर्ज कर दी गई जो गलत है।

2. नामातंरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांटगण को नहीं चुना गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना है।

3. बिना विधिक वारिसान की जांच किये नामातंरण खोला गया जो गलत है। अंत में निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाये। अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा दिनांक 08.12.2017 एवं नामातंरण संख्या 131 दिनांक 30.09.1982 ग्राम पंचायत मालोला निरस्त की जाये।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 एलआरएक्ट सपठित धारा 151 सीपीसी, प्रार्थना पत्र नियम 17 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहे। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि अपीलांट छितर की की पुत्रीयां ग्राम पंचायत मालोला द्वारा नामातंरण संख्या 131 दिनांक 30.09.1982 को खोला गया था। छितर की भूमियां भंवरलाल के नाम आई। जो अपीलांट का भाई है। मगर अपीलांट दुर्गा व कलां का नाम छोड़ दिया गया। छितर की पत्नि गीता की मृत्यु 2002 में हो चुकी है। हिन्दु उत्तराधिकार नियम धारा 6 और 8 के अनुसार पुत्रीयों का जन्म से ही पिता की सम्पति पर अधिकार होता है। उपखण्ड अधिकारी के यहां अपील हमारी दिनांक 03.12.2017 को खारिज हो चुकी है। समय पर हमने अपील दिनांक 24.01.2018 को प्रस्तुत कर दी गयी थी। अपील स्वीकार की जायें।

सर्वप्रथम अपील के मियाद में होने बाबत बिन्दु पर देखा गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.12.2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के विरूद्ध अपील दिनांक 24.01.2018 को प्रस्तुत करना पाया जाता है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 17 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष प्रार्थीगण ने नामातंरण संख्या 131 की प्रमाणित प्रति बाबत आवेदन प्रस्तुत किया तो बताया गया कि उक्त नामातंरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के यहां भेज दिया गया है। वहां सम्पर्क करने पर बताया गया कि नामातंरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अपील आवश्यक प्रकृति की होने से नामातंरण की फोटोप्रति प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की जाये। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा एवं तहसीलदार भीलवाड़ा कार्यालय से सम्पर्क किया है। मगर नामातंरण संख्या 131 की प्रमाणित प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने में प्रार्थी को छूट प्रदान की जाती है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 एलआरएक्ट सपठित धारा 151 सीपीसी का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार विवादित आराजीयात अपीलांटगण के पिता छितर पुत्र नाथूराम यादव की खातेदारी भूमियां थी। परंतु [illegible] के भाई भंवरलाल ने भूमि अकेले अपने नाम नामातंरण तस्दीक करवा लिया तथा भूमि को खुर्दबुर्द कर बेचान करने को आमादा है। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 08.12.2017 एवं ग्राम पंचायत मालोला द्वारा तस्दीक नामातंरण संख्या 131

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:21 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 30.09.1982 की पालना एवं प्रभाव अपील निस्तारण तक स्थगित करते हुए विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने का आदेश प्रदान किया जायें। जमाबंदी ग्राम जोधड़ास संवत 2036–39 खाता संख्या 86 के अनुसार खसरा नम्बर 44 और 45 कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा छितर पिता नाथूराम यादव साकिन भीलवाड़ा के नाम दर्ज थे। नामातंरण संख्या 131 ग्राम जोधड़ास दिनांक 30.05.1982 ग्राम पंचायत मालोला द्वारा छितर पिता नाथूराम यादव के नाम अंकित खसरा नम्बर 44 और 45 भंवर पिता छितर यादव के नाम विरासत से दर्ज किया जाना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा यह बताया गया कि 2002 में छितर की पत्नि गीता की मृत्यु हो चुकी है। इस बाबत उसके द्वारा कोई दस्तावेज यथा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किये है। साथ ही वर्तमान में भूमियों बाबत कोई राजस्व रिकोर्ड की प्रतिलिपी यथा जमाबंदी आदि प्रस्तुत नहीं की है। साथ ही अपीलांट द्वारा छितर की पुत्रीयों होने बाबत कोई दस्तावेज अपील में या बहस के दौरान प्रस्तुत नही की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा अपने निर्णय के अंत में यह अंकित किया है कि अतः प्रस्तुत अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अनुसार गलत नामातंरण बाबत पूर्व में उसको जानकारी नहीं थी तथा अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। दिनांक 16.11.2015 को उक्त आराजीयात की जमाबंदी की नकल पटवारी से मांग करने पर विवादित नामातंरण की जानकारी प्राप्त हुई। दिनांक 10.12.2015 को नामातंरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.12.2015 को प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। जानकारी दिनांक 16.11.2015 के बाद दिनांक 27.12.2015 को अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी और नामातंरण दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबंदी ग्राम जोधड़ास की प्रति प्राप्त करने हेतु उसके द्वारा दिनांक 16.11.2015 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिलिपी तैयार होने की दिनांक 17.11.2015 तथा जारी करने की दिनांक 20.11.2015 है। नामातंरण प्रतिलिपी दिनांक 10.12.2015 को प्राप्त हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.12.2015 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा सही रूप से अपील को देरी को प्रस्तुत करना मानते हुए अपील को टाइम बारड मानते हुए खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी 2069–72 खाता संख्या नया 120 पुराना 117 के अनुसार विवादित भूमियां खसरा नम्बर 44,45,47,48 सीमा पुत्री नाथूलाल जीनगर साकिन अहमदाबाद हाल मुकाम चित्तौड़ वालों की हवेली के पास भीलवाड़ा दर्ज है। नामातंरण संख्या 846 से उक्त भूमियां सीमा द्वारा अमरजीतसिंह पिता जोरावरसिंह गवारियां को 1/3 हिस्सा विक्रय किया है। इस बाबत नामातंरण संख्या 846 खोला गया। नामातंरण संख्या 447 बेचान से सीमा की जगह मुकेश कुमार कोली पिता डूंगरमल कोली निवासी कोली मोहल्ला के पास धानमण्डी भीलवाड़ा के पास दर्ज करने की स्वीकृति दी है। नामातंरण संख्या 848 दिनांक 11.08.2015 बेचान से सीमा की जगह लक्ष्मीनारायण पिता नन्दकिशोर भांबी 1/3 निवासी मकान नम्बर 79 पुलिस लाईन मीरानगर भीलवाड़ा के नाम दर्ज की स्वीकृति दी। नामातंरण संख्या 858 दिनांक 21.05.2016 समर्पण से 90ए से आराजी नम्बर 44 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा आराजी नम्बर 45 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा किता 2 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि नगर विकास न्याय भीलवाड़ा(आवासीय प्रयोजनार्थ) के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी है। इस प्रकार विवादित सारी भूमियां नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम आवासीय प्रयोजन[illegible] हो चुकी है। अपीलांट क्लीन हैण्ड से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। जो उचित [illegible] है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 एलआरएक्ट एवं [illegible] को खारिज किया जाता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 16:23:21 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा का निर्णय प्रकरण संख्या 1/2016 निर्णय दिनांक 09.12.2017 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:21 IST
Reason: SelfAttested